भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1288

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

गिग कामगारों के लिए पहल

†1288. श्री अरुण नेहरू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में देश में गिग कामगारों की संख्या और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के बारे में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कल्याणकारी उपायों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी प्लेटफार्मों, उद्योग संघों और गिग अर्थव्यवस्था के हितधारकों के साथ सरकार के सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से गिग कामगारों के बीच उनके अधिकारों एवं लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत पंजीकरण कराने तथा कल्याण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किए गए अभियानों अथवा पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) महिला गिग कामगारों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने और कल्याण कार्यक्रम में लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ङ) क्या गिग कामगारों को लाभ, पंजीकरण और शिकायत निवारण के तरीके तक आसानी से पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्लेटफ़ॉर्म कितना सफल और प्रभावशाली है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट "भारत की उभरती गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था" के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

जारी..2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफ़ॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का व्यापक केन्द्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्लेटफ़ॉर्म कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न है।

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स और प्लेटफॉर्म कामगार यूनियनों/एसोसिएशनों और राज्य सरकारों/संघ-राज्यक्षेत्रों के साथ कई दौर का विचार-विमर्श किया गया है।

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफार्म कामगारों के पंजीकरण को अधिकाधिक करने के लिए, अप्रैल, मई और अगस्त-सितंबर, 2025 महीनों के दौरान राज्यों और संघ-राज्यक्षेत्रों के सहयोग से तीन राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान आयोजित किए गए।

पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल किया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हई है।

इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का उपबंध है। इस संहिता में इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु एक सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान भी है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21.10.2024 को ई-श्रम 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' की भी शुरुआत की है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा / कल्याण योजनाओं का एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण शामिल है। इसका उद्देश्य ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच और अब तक ई-श्रम के माध्यम से उन्हें प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म कामगार सहित असंगठित कामगारों के लिए दिनांक 24.02.2025 को ई-श्रम मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की है, ताकि ई-श्रम पोर्टल की पहुंच और सुविधा को बढ़ाया जा सके। यह मोबाइल ऐप असंगठित कामगारों को अपनी जानकारी अद्यतन करने और अपने स्मार्टफोन से सीधे विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके असंगठित कामगार अपनी प्रोफाइल और लाभों का प्रबंधन चलते-फिरते कर सकते हैं, जिससे सीमित तकनीकी ज्ञान वाले लोग भी इस प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

* ******

अनुबंध

"गिग कामगारों के लिए पहल" के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को श्री अरुण नेहरू द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1288 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राज्य/संघ-राज्यक्षेत्रों के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की संख्या (दिनांक 02.12.2025 तक)

क्र. सं.	**राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र**	**पंजीकरण संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	140
2	आंध्र प्रदेश	32910
3	अरुणाचल प्रदेश	523
4	असम	18907
5	बिहार	87635
6	चंडीगढ़	551
7	छत्तीसगढ़	4319
8	दिल्ली	14158
9	गोवा	788
10	गुजरात	23239
11	हरियाणा	9000
12	हिमाचल प्रदेश	1086
13	जम्मू और कश्मीर	2219
14	झारखण्ड	9899
15	कर्नाटक	17124
16	केरल	7244
17	लद्दाख	43
18	लक्षद्वीप	4
19	मध्य प्रदेश	20125
20	महाराष्ट्र	106122
21	मणिपुर	556
22	मेघालय	694
23	मिजोरम	134
24	नागालैंड	491
25	ओडिशा	7538
26	पुदुचेरी	318
27	पंजाब	6710
28	राजस्थान	21376
29	सिक्किम	292
30	तमिलनाडु	23194
31	तेलंगाना	17503
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	107
33	त्रिपुरा	1487
34	उत्तर प्रदेश	36116
35	उत्तराखंड	3969
36	पश्चिम बंगाल	37844
	कुल योग	**514365**

******